पूर्वोत्तर प्रभाग, गृह मंत्रालय के संबंध में नागरिक चार्टर

अधिदेश

पूर्वोत्तर प्रभाग 8 राज्यों अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम से मिलकर बने पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह से संबंधित मामलों सहित आंतरिक सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति का कार्य देखता है तथा उस क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न उग्रवादी समूहों के साथ वार्ता करता है।

विजन

समाज की आकांक्षाओं की पूरा करने तथा सुदृढ़, स्थायी और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के विकास हेतु शांति और सौहार्द आवश्यक पूर्वापेक्षाएं हैं।

मिशन

सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोही और उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए बहु-आयामी नीति का अनुसरण कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अग्रलिखित शामिल है –(i) उग्रवादी समूहों के साथ वार्ता करने की इच्छा बशर्ते कि वे हिंसा छोड़ दें, भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर अपनी मांगों के निराकरण की मांग करें तथा राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में आएं तथा (ii) जो तत्व हिंसा और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में अभी भी लिप्त हैं, उनके विरुद्ध सतत विद्रोह-रोधी अभियान। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार विभिन्न उपायों यथा विद्रोह-रोधी अभियानों में राज्य प्राधिकारियों को सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती और खतरे के आकलन के आधार अति संवेदनशील संस्थानों और संस्थापनों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था; सीमा पर बाड़ लगाने, सीमा पर सड़कों का निर्माण तथा तेज रोशनी की व्यवस्था सहित सीमा पर सतर्कता और निगरानी, पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत स्थानीय पुलिस बल और खुफिया एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए खुफिया जानकारी, वित्तीय सहायता साझा करने, सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति के माध्यम से विद्रोह-रोधी अभियानों की विभिन्न पहलुओं की सहायता की व्यवस्था, इंडिया रिजर्व बटालियन के रूप में अतिरिक्त बलों का गठन करने और आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति के अंतर्गत आत्म-समर्पण करने वाले व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने आदि के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता भी प्रदान कर रही है।

फ्रंट लाइन क्षेत्र

- असम समझौता, बोडो समझौता, मिजो समझौता और त्रिपुरा समझौता का कार्यान्वयन।
- असम और नागालैंड सहित इसके पड़ोसी राज्यों के बीच सीमा विवाद।
- पूर्वोत्तर राज्यों के सुरक्षा संबंधी व्यय से संबंधित दावे।
- भारत/बांग्लादेश और भारत/म्यांमार के बीच राष्ट्रीय स्तर, सेक्टरल स्तर और संयुक्त कार्य समूह स्तर की बैठक से संबंधित विषय।
- पूर्वोत्तर राज्यों में कानून एवं व्यवस्था संबंधी स्थिति और उग्रवादी गतिविधियों की मॉनीटरिंग।
- पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आत्म समर्पण और पुनर्वास नीति।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1967 और सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम,1958 का प्रशासन।
- सेना/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सिविक कार्यक्रम की योजना।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न उग्रवादी समूहों के साथ शांति वार्ता।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलिकॉप्टर सेवाएं।
- ब्रू प्रवासियों का त्रिपुरा से मिजोरम में प्रत्यावर्तन और मिजोरम में उनका पुनर्वास।

- अरुणाचल प्रदेश में चकमा/हाजोंग से संबंधित मुद्दे।
- तिब्बती शरणार्थियों से संबंधित सुरक्षा संबंधी मुद्दे।
- पूर्वोत्तर राज्यों में नई परियोजनाओं को सुरक्षा संबंधी स्वीकृति प्रदान करना।
- पूर्वोत्तर में आरएपी/पीएपी/आईएलपी के बारे में नीतिगत मुद्दें।

पूर्वोत्तर प्रभाग ऐसे विषयों को नहीं देखता है जिनमें सीधे जनता से संपर्क करना होता है। इस प्रभाग के नियंत्रण में कोई अधीनस्थ गठन या स्वायत्त निकाय मौजूद नहीं है। इस प्रभाग द्वारा प्रशासित योजनाओं को राज्य सरकारों के माध्यम से प्रचालित किया जाता है। इस प्रभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं को गृह मंत्रालय के वेबसाइट पर डाला जाता है और भारत के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।

<u>पूर्वोत्तर प्रभाग में कार्यरत अधिकारियों का कार्य आबंटन</u>

I. <u>पूर्वोत्तर । अनुभाग</u>

(क) [श्रीमती श्रीमती घोष, अवर सचिव (पूर्वोत्तर-I) ⇨ - सुश्री ए. राधारानी, उप सचिव]

1. नागालैंड और मेघालय से संबंधित सभी मामले।
2. नागा विद्रोही समूहों के साथ युद्ध विराम करार और लोधी स्टेट में आवास को रखे रखने की समीक्षा सहित नागा शांति वार्ता।
3. मेघालय में एएनवीसी और एएनवीसी/बी के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन और उससे जुड़े मामले।
4. अध्यक्ष, सीएफएमजी की नियुक्ति, सीएफएमजी के अध्यक्ष और स्टाफ की नियुक्ति की अवधि को आगे बढ़ाना।
5. सिविक कार्य कार्यक्रम।

(ख) [श्रीमती सुमित्रा एन. मोतीलाल, अनुभाग अधिकारी, (पूर्वोत्तर-II) ⇨ श्री वाई.पी. नौटियाल, 2-आई सी (पूर्वोत्तर)]

1. मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित सभी मामले।
2. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय योजना तथा आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति तथा संबंधित मामले।
3. केएनओ और यूपीएफ के साथ अभियान निलंबन/ग्राउंड रूल्स का कार्यान्वयन।
4. केसीपी (लेम्फेल), केवाईकेएल, यूटीएलए (एसके थोडो), यूपीपीके और यूआरएफ के साथ समझौता ज्ञापन।
5. मणिपुर के गैर-सरकारी संगठनों के पूर्ववृत्तों का सत्यापन।
6. बेजबरुआ समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन और उससे जुड़े मामले।

II. <u>पूर्वोत्तर-II अनुभाग</u>

[श्री एन.आर. मिंज, अवर सचिव (पूर्वोत्तर-II) ⇨ सुश्री ए. राधारानी (उप सचिव)]

1. मिजोरम और सिक्किम से संबंधित सभी मामले।
2. अरुणाचल प्रदेश में चकमा शरणार्थियों से संबंधित मामले।
3. पासपोर्ट जारी करने के उद्देश्य से नागा और अन्य पूर्वोत्तर निवासियों के लिए सुरक्षा स्वीकृति।
4. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए हेलिकॉप्टर सेवाएं।
5. पूर्वोत्तर में आरएपी/पीएपी/आईएलपी से संबंधित नीतिगत मुद्दे।
6. दलाईलामा और तिब्बती मामलों से संबंधित विषय।
7. भारत और म्यांमार के बीच राष्ट्रीय बैठकों एवं संयुक्त कार्य समूह से संबंधित मामले।

8. ब्रू (रियांग) शरणार्थियों का त्रिपुरा से मिजोरम में संप्रत्यावर्तन तथा ब्रू प्रवासियों के लिए पुनर्वास योजनाएं।

III. <u>पूर्वोत्तर-III अनुभाग</u>

(क) [श्री निर्मल किशोर, अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर-III) ⇨ श्री आर.के. पाण्डेय, उप सचिव]

1. पूर्वोत्तर प्रभाग के समस्त समन्वय कार्य
2. विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों से मंत्रिमंडल नोट के मसौदे पर प्राप्त टिप्पणियां।
3. गृह मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों से संबंधित विषय।
4. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पूर्वोत्तर परिषद, एनएलसीपीआर और परामर्शदात्री समिति आदि से संबंधित समिति।
5. पूर्वोत्तर प्रभाग की वार्षिक रिपोर्ट और कार्य योजना।
6. पूर्वोत्तर प्रभाग का समग्र बजट एवं लेखापरीक्षा संबंधी विषयों की मॉनीटरिंग
7. एआरसी की सिफारिशें, कार्यबल की सिफारिशें, राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, पुलिस महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन।
8. मंत्रिमंडल के लिए उपलब्धियां/मासिक अ.शा. पत्र/महत्वपूर्ण कार्यक्रम।
9. मणिपुर में न्यायपालिका से बाहर की हत्याओं के बारे में उच्चतम न्यायालय का मामला तथा न्यायमूर्ति हेगड़े आयोग से संबंधित मामले।
10. विभिन्न पोर्टलों अर्थात सीपीजीआरएएम, ई-समीक्षा, प्रगति, वीएलएमएस, एलआईएमबीएस की मॉनीटरिंग और उनका अद्यतन।
11. पुराने कानूनों और अधिनियमों की समीक्षा।
12. सतर्कता संबंधी स्वीकृति और इससे संबंधित अन्य विविध मामले।
13. लंबित अनुशासनों पर समिति की मौखिक साक्ष्य/बैठक और लंबित आश्वासनों की मॉनीटरिंग।
14. पूर्वोत्तर राज्यों में विकास परियोजनाओं हेतु सुरक्षा।
15. गृह मंत्रालय के कार्य में अंतरिक्ष आधारित प्रौद्योगिकी उपकरणों के प्रभावी उपयोग हेतु कार्य योजना।
16. पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीपीएमजी मामले।

IV <u>पूर्वोत्तर IV अनुभाग</u>

[श्री वी.के. झा, अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर- IV)⟹ श्री संजीव कुमार, अवर सचिव (पूर्वोत्तर IV)⇨ श्री ए.सी. झा, उप सचिव]

1. असम में विद्रोह संबंधी मामले तथा अन्य मामले।
2. असम में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों से संबंधित मामले।
3. भारत और बांग्लादेश के बीच राष्ट्रीय स्तर (गृह मंत्री और गृह सचिव स्तर), संयुक्त कार्य समूह और अन्य बैठकों से संबंधित मामले और इससे जुड़े अन्य मामले।
4. असम में एनआरसी का अद्यतन।
5. पीआईएफ/एमटीएफ योजना से संबंधित मामले।
6. असम में विदेशी विषयक अधिकरणों से संबंधित योजना।
7. अवसंरचना विकास के लिए बीटीसी को भुगतान।

V. <u>पूर्वोत्तर V अनुभाग</u>

[श्री एस.के. भार्गव, अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर V) ⇨ श्री आर.के. पाण्डेय, उप सचिव]

1. त्रिपुरा में विद्रोह और कानून तथा व्यवस्था संबंधी मामले, विशेष बजट घटक के अंतर्गत अभ्यपण करने वाले विद्रोहियों के साथ वार्ता और पुनर्वास।

2. पूर्वोत्तर क्षेत्र में सशस्त्र बल (विशेष बल) अधिनियम के अंतर्गत मानव अधिकार का उल्लंघन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के संपर्ककर्ताओं से संबंधित मामले।

3. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 का कार्यान्वयन और सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम पर न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी समिति की सिफारिशों को स्वीकार न किए जाने संबंधी प्रस्ताव।
4. गैर-कानूनी कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 का कार्यान्वयन, गैर-कानूनी संघ/आतंकी संगठन की अधिसूचना जारी करना और गैर-कानूनी निवारण अधिकरणों का गठन करना।
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र में एकीकृत कमान मुख्यालय के बारे में आदेश जारी करना।

VI. पूर्वोत्तर VI अनुभाग

[श्री एस. मोतीलाल, अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर VI) ⇨श्री संजीव कुमार, अवर सचिव (पूर्वोत्तर IV)⇨ श्री ए.सी. झा, उप सचिव]

1. असम समझौता,
2. छठी अनुसूची

VII. एनईडीसी

[श्री संजीव कुमार, अवर सचिव (पूर्वोत्तर IV) ⇨ श्री ए.सी. झा, उप सचिव]

1. मिजोरम में किराया नुकसान भरपाई दावों से संबंधित न्यायालय मामलों।
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र में विज्ञापन एवं प्रकाशन - योजना स्कीम
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था से संबंधित साप्ताहिक रिपोर्ट।